

मेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, द्वारा गारे पेलमा, IV/8 कोल माईन, ग्राम - खम्हरिया, तहसील - तमनार, जिला - रायगढ़ (छ.ग.) में प्रस्तावित केप्टिव कोल वॉशरी क्षमता - 1.8 एमटीपीए के पर्यावरणीय स्वीकृति के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई दिनांक 08.06.2012 का कार्यवाही विवरण :-

मेसर्स जायसवाल निको, इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, द्वारा गारे पेलमा, IV/8 कोल माईन, ग्राम - खम्हरिया, तहसील - तमनार, जिला - रायगढ़ (छ.ग.) में प्रस्तावित केप्टिव कोल वॉशरी क्षमता - 1.8 एमटीपीए के पर्यावरणीय स्वीकृति के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई दिनांक 08.06.2012 को स्थान - शासकीय प्राथमिक शाला के समीप का मैदान, सिंदारपारा, ग्राम - मीलूपारा, तहसील - तमनार, जिला रायगढ़ (छ.ग.) में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी रायगढ़, की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा प्रातः 11.30 बजे लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारंभ की गई। लोक सुनवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ तथा क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल रायगढ़ उपस्थित थे। लोक सुनवाई में आसपास के ग्रामवासी तथा रायगढ़ के नागरिकों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं ने भाग लिया। सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा ई. आई.ए. नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.06 के प्रावधानों की जानकारी दी गयी।

लोक सुनवाई में लगभग 2000 लोगों का जन समुदाय एकत्रित हुआ। उपस्थिति पत्रक पर 29 लोगों ने हस्ताक्षर किये। मौखिक वक्तव्यों को लिपिबद्ध किया गया।

लोक सुनवाई, उद्योग प्रतिनिधि के द्वारा परियोजना के प्रस्तुतीकरण से प्रारंभ हुई। सर्वप्रथम उद्योग की ओर से कंपनी प्रतिनिधि श्री डी.के.श्रीवास्तव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष द्वारा प्रस्तावित परियोजना के संबंध में संक्षिप्त जानकारी देते हुए कहा कि कोयले का उपयोग सिलतरा तथा मिडलिंग्स का उपयोग हमीरपुर में प्रस्तावित पावर प्लांट में उपयोग किया जायेगा। कोयला तथा मिडलिंग्स का परिवहन ट्रक द्वारा किया जायेगा। यह परियोजना वन रहित भूमि में स्थापित की जायेगी इसमें किसी भी प्रकार का विस्थापन नहीं किया जायेगा। जल डी आपूर्ति माईनपिट में एकत्रित जल से की जायेगी। 10 कि.मी. परिधि में कोई राष्ट्रीय उद्यान, एवं ऐतिहासिक धरोहर नहीं है। कोल वॉशरी लगभग 30 प्रतिशत स्वच्छ कोयला उत्पादित करेगी। प्रतिदिन 5500 टन कोयले की धुलाई की जायेगी। धुले कोयले का उपयोग स्टील निर्माण तथा मिडलिंग्स का उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जायेगा। कोयले को हैवीमिडिया साइक्लोन टेकनिक द्वारा धोया जायेगा। थिकनर द्वारा कोयले के कण को अलग किया जायेगा। पर्यावरणीय आधारभूत आंकड़े पर्यावरण विभाग एवं केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत एकत्र किया गया है। अध्ययन क्षेत्र की सभी जांच स्थलों में एसपीएम, आरएसपीएम आदि आंकड़े मानक के अनुरूप पाए गए हैं। नदी एवं भूजल में धात्विक एवं अन्य प्रदूषण नहीं पाया गया है। कोयले को इकाई परिसर के अन्दर सुरक्षित स्थान पर रखा जायेगा। कामगार के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिये आपातकालीन योजना बनाई जायेगी। कोयला हथालन क्षेत्र की नियमित सफाई एवं जल छिड़काव किया जायेगा। क्रशर एवं स्क्रीन में डूई फाग एवं अन्य उपकरण का उपयोग किया जायेगा। परियोजना से उत्सर्जित जल का शत प्रतिशत उपयोग किया जायेगा। वर्षा जल के लिए अलग से नालियों का निर्माण किया जायेगा। उच्च ध्वनि स्तर पर कार्य करने वाले कामगारों को आवश्यक उपकरण प्रदाय किया जायेगा। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराए जायेंगे। आसपास के ग्रामों में पर्यावरण जागरूकता एवं समाजिक जागरूकता कार्यक्रम कराया जायेगा। परियोजना से क्षेत्र का बुनियादी तौर पर विकास होगा। यह इकाई लो ग्रेड के कोयले का शुद्धिकरण करने के लिए स्थापित की जा रही है। 250 स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। इकाई संचालन के समय 80 लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। कंपनी अन्य सुविधाएं भी आसपास के लोगों के लिए उपलब्ध करायेगी। पर्यावरण सुरक्षा के लिए जरूरी एवं कारगर योजना बनाई गई है। मुख्य लागत का 10 प्रतिशत भाग प्रदूषण नियंत्रण हेतु उपयोग किया जायेगा। हरित पट्टी का विकास सीपीसीबी के दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। वर्षा जल को संग्रहित करेगी। कर्मचारियों की समय-समय पर स्वास्थ्य जांच की जायेगी। श्री रत्नेश कोटियाल

for
ADM

तकनीकी सलाहकार द्वारा बताया गया कि इस कोल बॉशरी से 20-30 प्रतिशत राख की मात्रा निकलेगी। धुले कोयले का स्टील निर्माण इकाई में उपयोग किया जायेगा तथा मिडलिंग्स का उपयोग प्रस्तावित हमीरपुर पावर प्लांट में किया जायेगा। कोयला गारे पैलमा कोल बॉशरी से ट्रक द्वारा लायेगा। कोयले को हैवीमैलिया राइजलोन तकनीक से धोया जायेगा। उक्त परियोजना में किये जाने वाले प्रदूषण नियंत्रण के उपाय, जल की आवश्यकता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्थानीय लोगों को रोजगार, सामुदायिक विकास कार्य आदि के संबंध में जानकारी दी गयी।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा उद्योग प्रतिनिधि को जन सुनवाई के दरम्यान उठायी गई आपत्तियों, टीकाटिप्पणी को नोट करने तथा उन्हें कार्यवाही के अंत में बिन्दुवार स्पष्ट जानकारी देने का निर्देश दिया गया। इसके उपरान्त उपस्थित जन समुदाय से सुझाव, विचार, टीका-टिप्पणी आमंत्रित की गयी, जिस पर निम्नानुसार 808 व्यक्तियों ने अपने विचार व्यक्त किये -

सर्वश्री -

1. श्री ज्ञानसागर गुप्ता, ग्राम-जांजगीर :- इस क्षेत्र में जब माईस नहीं था तो लोग किस प्रकार से जीते खाते थे यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पर्यावरण प्रदूषण से किसी की मृत्यु नहीं हुई है। जिस जमीन की कीमत 5 हजार 10 हजार एकड़ था, उस जमीन की कीमत आज बढ़ गई है। इस क्षेत्र में अधिकतर पर्वतीय इलाका है लोगों का जीवन बदतर था और आज कंपनी के आने से रोड, बिजली, पानी मिला है। क्षेत्र का विकास हुआ है। अच्छे-अच्छे स्कूल खुलेंगे। कंपनी द्वारा सारी सुविधाएं दी गई है। लोग चावल-दाल लेकर रायगढ़ जाते थे और दो दिन बात रायगढ़ से लौट कर आते थे। हमारा भविष्य उज्जवल हो रहा है। मैं फर्स्ट धोलने आया हूं तो इसका मतलब यह नहीं कि कंपनी ने मुझे लाखों रुपये दिये हैं। इस क्षेत्र का विकास जरूरी है। मुझे लगा कि कोई कंपनी आये उद्योगपति आये तो इस क्षेत्र का विकास होगा। कोई यदि रूठा हो तो यह उसका निजी मामला है। डी एवं सी ग्रेड का कोयला कंपनी उपयोग करता है तो उसको मैं धन्यवाद दूंगा। यहां कोल बॉशरी, पावर प्लांट लगेगा तो इस क्षेत्र का विकास होगा। कंपनी का पुरजोर हम समर्थन करते हैं। पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु हम आह्वान करते हैं। बेझिझक स्वीकृति इन्हें स्वीकृति दिया जाये।
2. भुलेश्वर ठेंठवार, आमगांव - समर्थन।
3. सुरेश कुमार राठिया, खम्हरिया - समर्थन।
4. गोविंद राम बेहरा, खम्हरिया - समर्थन।
5. आनंद राम, खम्हरिया - समर्थन।
6. मधु गुप्ता, खम्हरिया - समर्थन।
7. साधुराम बेहरा, खम्हरिया - समर्थन।
8. सुरेंद्र कुमार पाण्डे, खम्हरिया - समर्थन।
9. गजपति राम राठिया, खम्हरिया - समर्थन।
10. अमर नायक, बजरमुड़ा - समर्थन।
11. परमानंद, बांजीखोल - समर्थन।
12. हेमन्त पटेल, बांजीखोल - समर्थन।
13. गजानंद नायक, बजरमुड़ा - समर्थन।
14. कार्तिकराम राठिया, बांजीखोल - समर्थन।
15. जयलाल, बजरमुड़ा - समर्थन।
16. भोजराम सिदार, बजरमुड़ा-कंपनी जब से आयी है हम लोगों को सहयोग मिल रहा है। समर्थन।
17. महेश सिदार, बजरमुड़ा- समर्थन।
18. इतवार, बजरमुड़ा - समर्थन।
19. सरोज चौहान, बजरमुड़ा- समर्थन।
20. मनोज नायक, बजरमुड़ा- समर्थन।
21. आकाश पटेल, बजरमुड़ा- समर्थन।

Handwritten signature
HDM

22. सदानंद, बजरमुड़ा- समर्थन।
23. आनंद राज, बजरमुड़ा- समर्थन।
24. नरेन्द्र राय, बजरमुड़ा- समर्थन।
25. बबलू सिदार, बजरमुड़ा- समर्थन।
26. चंद्रमति, बजरमुड़ा- समर्थन।
27. ललिता, बजरमुड़ा- समर्थन।
28. उर्मिला, बजरमुड़ा- समर्थन।
29. हेमति सिदार, बजरमुड़ा- समर्थन।
30. राजमति, बजरमुड़ा- समर्थन।
31. उद्धव राय, बजरमुड़ा- समर्थन।
32. हरिहर सिदार, बजरमुड़ा- स्वागत।
33. चमरा राम, बजरमुड़ा- समर्थन।
34. पानासाय, बजरमुड़ा- समर्थन।
35. मोहन साय, बजरमुड़ा- समर्थन।
36. श्रवण कुमार, बजरमुड़ा- समर्थन।
37. मनमोहन, बजरमुड़ा- समर्थन।
38. राजेश पटेल, बजरमुड़ा- समर्थन।
39. संतोष नायक, बजरमुड़ा- समर्थन।
40. राहुल राय, बजरमुड़ा- समर्थन।
41. ज्ञानेन्द्र सिदार, बजरमुड़ा- समर्थन।
42. अजय सिदार, बजरमुड़ा- समर्थन।
43. रामेश्वर निषाद, बजरमुड़ा- समर्थन।
44. रोहित कुमार सिदार, बजरमुड़ा- समर्थन।
45. रमेश कुमार अघरिया, बजरमुड़ा- समर्थन।
46. सादमति, बजरमुड़ा- समर्थन।
47. बहतीन, बजरमुड़ा- समर्थन।
48. कमला, बजरमुड़ा- समर्थन।
49. रामबती, बजरमुड़ा- समर्थन।
50. कमला बाई, बजरमुड़ा- समर्थन।
51. रुकमती, बजरमुड़ा- समर्थन।
52. समारी बाई, बजरमुड़ा- समर्थन।
53. हीराबाई, बजरमुड़ा- समर्थन।
54. पांचो, बजरमुड़ा- समर्थन।
55. सीताबाई, बजरमुड़ा- समर्थन।
56. अनिता, बजरमुड़ा- समर्थन।
57. सुमति बजरमुड़ा- समर्थन।
58. अनिता, बजरमुड़ा- समर्थन।
59. कांती, बजरमुड़ा- समर्थन।
60. देवमती, बजरमुड़ा- समर्थन।
61. धनई बाई, बजरमुड़ा- समर्थन।
62. जमुना बाई, बजरमुड़ा- समर्थन।
63. गुरमति, बजरमुड़ा- समर्थन।
64. संतोषी बजरमुड़ा- समर्थन।
65. गायत्री बाई, बजरमुड़ा- समर्थन।
66. निर्मला बाई, बजरमुड़ा- समर्थन।
67. भारती, बजरमुड़ा- समर्थन।

Handwritten signature
M D M

68. उषा, बजरमुड़ा- समर्थन।
69. ललिता, बजरमुड़ा- समर्थन। *
70. उमा, बजरमुड़ा- समर्थन।
71. समारी बाई, बजरमुड़ा- समर्थन।
72. हजारमती, बजरमुड़ा- समर्थन।
73. चमरीन, बजरमुड़ा- समर्थन।
74. शांती बाई, बजरमुड़ा- समर्थन।
75. राधिका बाई, बजरमुड़ा- समर्थन।
76. गुडमती बाई, बजरमुड़ा- समर्थन।
77. बरातो, बजरमुड़ा - समर्थन।
78. लीला बाई, बजरमुड़ा- समर्थन।
79. घसनौ बाई, बांजीखोल - समर्थन।
80. सीता बाई, बांजीखोल - समर्थन।
81. पुनई बाई, बांजी खोल - समर्थन।
82. विमला बाई, बांजीखोल - समर्थन।
83. जमुना बाई, बांजीखोल - समर्थन।
84. सावित्री बाई, बांजीखोल - समर्थन।
85. सनमति, बेलजोर - समर्थन।
86. धनई बाई, बेलजोर- समर्थन।
87. पद्मा बाई, बेलजोर - समर्थन।
88. मोहरमति, बेलजोर - समर्थन।
89. रैमति बाई, बेलजोर - समर्थन।
90. चमरीन बाई, बेलजोर - समर्थन।
91. गुलापी, बेलजोर - समर्थन।
92. हीरामती, बेलजोर - समर्थन।
93. बेलमति, बेलजोर - समर्थन।
94. सोधी बाई, बेलजोर - समर्थन।
95. फुलमति बाई, बेलजोर - समर्थन।
96. सुकांती बाई, बजरमुड़ा- समर्थन।
97. विदेशी राम, बजरमुड़ा- समर्थन।
98. प्रतीक सागर सिदार, बजरमुड़ा- समर्थन।
99. दशरथ राठिया बांजीखोल - समर्थन।
100. फागुलाल राठिया, बांजीखोल - समर्थन।
101. समारू यादव, बांजीखोल - समर्थन।
102. चेताराम यादव, बांजीखोल- समर्थन।
103. कृपाराम, बांजीखोल- समर्थन।
104. सुखदेव, बांजीखोल- समर्थन।
105. साङ्गराम, बांजीखोल - समर्थन।
106. मांझाराम, बांजीखोल - समर्थन।
107. करम सिंग सिदार, बेलजोर - समर्थन।
108. ठंडाराम राठिया, बेलजोर - समर्थन।
109. मुनेश्वर, बेलजोर - समर्थन।
110. गंगाराम राठिया, बेलजोर - समर्थन।
111. हितबल, बांजीखोल - समर्थन।
112. अनंत किसान, बेलजोर - समर्थन।
113. सकीर्तन, बेलजोर - समर्थन।

Handwritten signature
1907

114. खुशीराम राठिया, बेलजोर - समर्थन।
115. सुखलाल, बेलजोर - समर्थन।
116. मदन राठिया, बेलजोर - समर्थन।
117. हीराराम, बजरमुड़ा - समर्थन।
118. पवन, बजरमुड़ा - समर्थन।
119. मदन, बजरमुड़ा - समर्थन।
120. दैन कुमार चौहान, बजरमुड़ा - समर्थन।
121. चित्रसेन गिंज, बजरमुड़ा - समर्थन।
122. केशव कुमार सिदार, बजरमुड़ा - समर्थन।
123. धनेश्वर सिदार, बजरमुड़ा - समर्थन।
124. चित्रसेन सिदार, बजरमुड़ा - समर्थन।
125. मनोज अघरिया, बजरमुड़ा - समर्थन।
126. मनमोहन, बजरमुड़ा - समर्थन।
127. परदेशी, बजरमुड़ा - समर्थन।
128. सेवक लाल, बजरमुड़ा - समर्थन।
129. सेत कुमार, बजरमुड़ा - समर्थन।
130. सदानंद प्रधान, बेलजोर - समर्थन।
131. रविशंकर, बांझीखोल - समलाई मंदिर को बनाने की महान कृपा करें। समर्थन।
132. जगन्नाथ, बजरमुड़ा - समर्थन।
133. मोहन, बजरमुड़ा - समर्थन।
134. घसिया राम, बजरमुड़ा - समर्थन।
135. राधेश्याम सिदार, बजरमुड़ा - समर्थन।
136. गजाधर बारीक, खम्हरिया - समर्थन।
137. मेहत्तर निषाद, बजरमुड़ा - समर्थन।
138. बंधीराम, बेलजोर - समर्थन।
139. अमर साय, बेलजोर - समर्थन।
140. सालिकराम, बजरमुड़ा - समर्थन।
141. मोहित राम, बेलजोर - समर्थन।
142. कृपा राम, बेलजोर - समर्थन।
143. जगमोहन राठिया, बेलजोर - समर्थन।
144. प्रेमसिंग राठिया, बेलजोर - समर्थन।
145. चतुरसिंग राठिया, बेलजोर -
146. मयाराम सिदार, बेलजोर - समर्थन।
147. कार्तिक राम राठिया, बेलजोर - समर्थन।
148. भुनेश्वर पैकरा, बेलजोर - समर्थन।
149. मुन्नु राम, बजरमुड़ा - समर्थन।
150. भागीरथी, बजरमुड़ा - समर्थन।
151. दयाराम, बजरमुड़ा - समर्थन।
152. खेमसागर बेहरा, खम्हरिया - समर्थन।
- 153.

जयंत बहिदार, रायगढ़ - आज की लोक सुनवाई गैरकानूनी है। इस लोक सुनवाई को स्थगित करने की मांग करता हूँ। कलेक्टर को निरस्त करने का अधिकार नहीं है। इसलिए हम स्थगित करने की मांग की। लोक सुनवाई की प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा है। जिला प्रशासन के अधिकारी एवं पर्यावरण विभाग के अधिकारी जानबूझकर पर्यावरण के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं। पिछले लोक सुनवाई में जो पीठासीन अधिकारी जिला पंचायत के सीईओ को कर दिया गया। तानाशाही स्वैये के आधार पर सीईओ को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया जो कि दण्डाधिकारी अधिकारी नहीं है। कौयला खदान के भीतर कोल

Just
ADM

वॉशरी का निर्माण किया जा रहा है तो एक साथ लोक सुनवाई होनी चाहिए। परंतु ऐसा नहीं किया गया। पहले कोयला खदान की मंजूरी ले ली गई। अब कोल वॉशरी के लिए आवेदन लगाया गया। उद्योग के आवेदन के 45 दिन के अंदर लोक सुनवाई होनी चाहिए आज 1 साल 5 माह बाद हो रही है। कोयला खदान को लीज छग शासन से मिले। जिसके ऊपर कोयला खदान स्थापित होना है उसे छग शासन से मंजूरी नहीं मिली है। पहले लीज की स्वीकृति होती, फिर डीड एग्रीमेंट होता और फिर कोल वॉशरी के निर्माण के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई होनी थी। परंतु यह उल्टा कार्य किया जा रहा है। कंपनी का प्रशासन कर रही गैर कानूनी है यह बंद होना चाहिए। पर्यावरण नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। ईआईए रिपोर्ट फर्जी है। ईआईए रिपोर्ट का अध्ययन नहीं किया गया है। और पर्यावरण विभाग एवं प्रशासन को ईआईए भेज दी गई की हम अध्ययन कर लिया है। हाथी आने जाने का क्षेत्र है। टीओआर का पालन नहीं किया गया है। जायसवाल निक्कों का गंदा पानी बेंदरा नाले के माध्यम से केलो नदी में डाला जा रहा है। पर्यावरण विभाग द्वारा नोटिस जारी किया गया है। फिर एक और खदान की लोक सुनवाई की जा रही है। कोयला निकाल कर सिलतरा प्लांट में भेजेंगे और मिडलिंग्स को हमीरपुर पावर प्लांट में खपायेंगे। कोयला खदान कैप्टिव उपयोग के लिए मिला है बेचने के लिए नहीं है। कैप्टिव माईस का कोयला दूसरे उद्योग को कैसे दिया जा सकता है? पिछले 2 मई को कंपनी के कोयला खदान के लिए लोक सुनवाई हुई थी हमने मांग किया गया था टीओआर का पालन करें और कोयला खदान एवं कोल वॉशरी की लोक सुनवाई एक साथ किया जाये। कोयला खदान एवं कोल वॉशरी एक दूसरे से संबंधित है। पर कलेक्टर साहब ने दोनों लोक सुनवाई एक साथ नहीं कराई है। जायसवाल कंपनी को 4/4 का कोयला खदान 0.48 मिलियन टन की अनुमति है और उसे बढ़ाकर 1 मिलियन टन की अनुमति मांगी है। और खदान को खनिज पट्टी अभी तक नहीं मिला है। कोयला उत्पादन की अनुमति ही नहीं मिली है तो कोल वॉशरी में कैसे अधिक क्षमता का कोयला धुलाई करेंगे। पर्यावरण के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है तो और परियोजनाओं को अनुमति देने का कोई महत्व नहीं है। इस परियोजना को मैं विरोध करता हूँ इसे मंजूरी देन का मैं विरोध करता हूँ। इसे निरस्त करने की मांग करता हूँ।

154. रामलाल राठिया, बांजीखोल - समर्थन।
155. सनीराम, बांजीखोल - समर्थन।
156. राधेलाल राठिया, बांजीखोल - समर्थन।
157. भरतराम, बांजीखोल - समर्थन।
158. मिसराम राठिया, बांजीखोल - समर्थन।
159. आनंद कुमार, बांजीखोल - समर्थन।
160. सुमति सिदार, बांजीखोल - समर्थन।
161. प्रभा सिदार, बांजीखोल - समर्थन।
162. जानकी, बांजीखोल - समर्थन।
163. समारी, बांजीखोल - समर्थन।
164. कमला, बांजीखोल - समर्थन।
165. बेलमति, बांजीखोल - समर्थन।
166. रेखा बाई, बांजीखोल - समर्थन।
167. सुशीला, बांजीखोल - समर्थन।
168. सुंदरमति, बांजीखोल - समर्थन।
169. भरत लाल, बांजीखोल - समर्थन।
170. शंकर, बांजीखोल - समर्थन।
171. सनत राम राठिया, बांजीखोल - समर्थन।
172. सुखदेव राठिया, लमदरहा - समर्थन।
173. नटवरलाल, लमदरहा - समर्थन।
174. हरि कुमार, लमदरहा - समर्थन।

Sushe
ADM

175. राजेश त्रिपाठी, जनचेतना मंच, रायगढ़ — केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय 2006 के अधिसूचना के अनुसार आवेदन के 45 दिवस के अंदर राज्य सरकार द्वारा लोक सुनवाई आयोजित कराया जाना चाहिए। यदि किसी कारणवश सरकार जन सुनवाई करवाने में असफल होती है तो पर्यावरण मंत्रालय एक समिति का गठन करेगा और यह समिति लोक सुनवाई करायेगी। आज की जन सुनवाई पर्यावरण मंत्रालय नियमों के खिलाफ है। पिछले 1 माह पूर्व जन सुनवाई हुई थी और आज जो जन सुनवाई हुई दोनों की ईआईए का अध्ययन किया गया तो पाया गया इस क्षेत्र में नीलगाय, सुअर, हाथियां कभी-कभी आना जाना करती हैं। भालू का जिक्र नहीं किया गया। पहले ईआईए में जंगली जानवर का जिक्र नहीं था और आज हो रही है उस ईआईए में जंगली जानवरों का जिक्र किया गया है। इस प्रकार ईआईए में त्रुटि है। ईआईए में इन्होंने ने कहा नहीं बताया है यह क्षेत्र अनुसूची-5 के अंतर्गत आता है। कृषि भूमि का डायवर्सन 10 साल तक नहीं किया जा सकता। आज की लोक सुनवाई के बाद 10 साल तक जमीन में प्लांट निर्माण नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो यह लोक सुनवाई गैरकानूनी है। कोल वॉशरी के लिए पानी कहाँ से आयेगा? कोयला धोने के लिए 2500 लीटर पानी प्रतिदिन चाहिए। यहां के ग्राउंड वाटर पानी का उपयोग किया जायेगा तो यहां पानी की समस्या आ जायेगी। जल, जंगल, जमीन, जीव, जंतु यहां प्रभावित होंगे। हाथी कभी-कभी आते कहा गया है। जबकि वन विभाग द्वारा दो हाथी टावर बनाये गये हैं। इनके खानेपीने की व्यवस्था की गई है। इस हेतु इस क्षेत्र में 25 कि.मी. में तार बाढ़ लगाने में 45 लाख रुपये खर्च किये गए हैं ताकि हाथी के हमला से बचा जा सके। रायगढ़ में लगभग 30 से 40 हाथियों का हमला हुआ है जिस हेतु 26 लाख का मुआवजा वन विभाग द्वारा बांटा गया है। गंदा पानी का उपयोग वृक्षों में डाला जायेगा। सबसे पहले इनके पास वृक्ष ही नहीं है तो वृक्ष में पानी कहाँ डालेंगे? कंपनी द्वारा गमला तक नहीं लगाया है ये वृक्षारोपण में पानी कहाँ डालेंगे? पर्यावरण विभाग द्वारा नोटिस भी दिया गया था। इनके द्वारा गंदा पानी केलो नदी में बेंदरा नाला के माध्यम से डाला जाता है। कंपनी द्वारा फिल्टर लगाकर सफ पानी केलो नदी में छोड़ने हेतु कहा गया है। केलो नदी से 18 गांवों के लोग पानी का उपयोग करते हैं। रायगढ़ जिले को, कंपनी दावा करती है कि स्वर्ग बना देंगे। किंतु कंपनी द्वारा रायगढ़ को नर्क बना दिया है। स्थानीय लोगों को कंपनी नौकरी तो देती नहीं है। बाहरी लोगों को रोजगार दिया जाता है। स्थानीय लोग को हड़ताल, रैली करेंगे इस डर से इन्हें रोजगार नहीं दिया जाता है। इन कंपनियों को कब तक नोटिस देते रहेंगे? और कब तक यह गंदा पानी बहाते रहेंगे? यहां के कोयले की सफाई कर सिलतरा ले जायेंगे जबकि सिलतरा बायोमास प्लांट है वहां कोयले की आवश्यकता नहीं है। सरकार को गुमराह कर केप्टिव माईंस लिया गया है। सिलतरा में कोयले की आवश्यकता नहीं है। अतः इस लोक सुनवाई को निरस्त कर दिया जाना चाहिए। चोरी करिए मगर दोस्ती करके सीना जोरी करके नहीं। चारों तरफ पुलिस कर्मचारी बैठे हुए हैं। अगर ये टैंट का खर्चा तथा माईक का खर्च देते हैं तो पद के मुताबिक कंपनी द्वारा पुलिस को एक दिन का वेतन दिया जाना चाहिए। कई कारणों से स्कूलों में बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। मीलूपारा स्कूल के बच्चे खाना खाते हैं तो उसके खाने में डस्ट आता है। कंपनी जहां है वहां 58 प्रतिशत कुपोषित है और जहां कंपनियां नहीं हैं वहां 48 प्रतिशत बच्चे कुपोषित के शिकार हैं। बच्चों का स्वास्थ्य जांच ठीक से नहीं कराया गया है।

176. सुखराम सिदार, कोड़केल — समर्थन।

177. चंदन, बांड़ीखोल — समर्थन।

178. बनेसर पैकरा, बांड़ीखोल — समर्थन।

179. संजय कुमार, बांड़ीखोल — समर्थन।

180. गुदल राम यादव, बांड़ीखोल — समर्थन।

181. ईश्वर चौहान, कोड़केल — समर्थन।

182. बाबुलाल, बजरमुड़ा — कंपनी को धन्यवाद।

183. बुद्धचरण यादव, कोड़केल — समर्थन।

Handwritten signature
HDB

184. अगहन कुमार चौहान, कोडकेल - समर्थन।
 185. नरेंद्र मिरी, बांझीखोल - समर्थन।
 186. मयाराम चौहान, कोडकेल - कंपनी को धन्यवाद। समर्थन।
 187. कपिल सिंग, मरावी, बांझीखोल - समर्थन।
 188. विश्वनाथ सिदार, बांझीखोल - समर्थन।
 189. फुलेश्वर सिदार, बांझीखोल - समर्थन।
 190. तुलसीराम राठिया, बांझीखोल - समर्थन।
 191. नानसाय, बांझीखोल - समर्थन।
 192. लखन प्रसाद, बांझीखोल - समर्थन।
 193. चैतन राठिया, बांझीखोल - समर्थन। गांव में प्रदूषण फैला है।
 194. गजानन, बांझीखोल - समर्थन।
 195. सुदुल तिर्की, बांझीखोल - समर्थन।
 196. गोविंद राम सिदार, बांझीखोल - समर्थन।
 197. राधेश्याम शर्मा, रायगढ़ - आज की जनसुनवाई पूर्ण रूप से विधि का उल्लंघन करते हुए जिला प्रशासन द्वारा सम्पन्न कराया जा रहा है इसलिए इस सुनवाई को तत्काल स्थगित किया जाना चाहिए। जन सुनवाई के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने जो समय नियत की गई थी जिला प्रशासन एवं राज्य शासन द्वारा नहीं अपनाई गई है। पर्यावरण के नियमों का पालन छ. ग. रायगढ़ में नहीं हो रहा है। निजी कंपनियों के जो सर्वेयर है जो ईआईए तैयार कर रहे हैं वे अपने कार्यालय में बैठकर ही प्रदूषण के आंकड़ों को दर्शा दे रहे हैं। जिले में प्रदूषण की मात्रा प्रशासन को ही नहीं मालूम है तो वे कहां आपत्ति करेंगे ? रायगढ़ जिले में सवा सौ से भी अधिक उद्योग लग चुके हैं। यहां 4 स्थानों में प्रदूषणमापी यंत्र लगाया जाना चाहिए। जिससे जिले वासी यह जान सकें कि प्रदूषण की क्या स्थिति है। आम आदमी के चलने वाले सड़को में ट्रकों के परिचालन से 1600 से अधिक मौते सड़क दुर्घटना में हो चुकी है। रायगढ़ जिले में और उद्योग लगाये जाने की क्षमता भर चुकी है इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। रायगढ़ और छ.ग. में सड़क दुर्घटना में जो मौते हुए हैं उसकी जानकारी भी ईआईए में शामिल किया जाना चाहिए। पुराने उद्योगों को और बढ़ाये जाने की अनुमति दी जा रही है यह सब अनुचित है। औद्योगिक विकास के चलते क्या-क्या क्षति जैव मंडल, आम जनता को हो रही है इसकी जानकारी सरकार को होनी चाहिए। पर्यावरण मंत्रालय को सही आंकड़ा उपलब्ध नहीं हो पता है। जिस उद्योग में कोयले की आवश्यकता ही नहीं उस उद्योग को कोयला सप्लाई किया जाता है तो निश्चित ही कंपनी कोयले का अवैध व्यापार कर रही है। इन परिस्थितियों में कैसे कोल वॉशरियों को अनुमति दी जायेगी। जिला प्रशासन इन गंभीर खामियों को जानते हुए भी स्वीकृति प्रदान करती है। एडीएम और पर्यावरण अधिकारी जैसे अधिकारियों को अपना मत जन सुनवाई में देना चाहिए। इसलिए मैं जिला प्रशासन के अधिकारियों को निवेदन करूंगा कि वे लोकसुनवाई में अपना व्यक्तिगत अभिमत दर्ज करें।
198. सविता रथ, जनचेतना, रायगढ़ - मुझे लगता है कि इस जन सुनवाई का व्यापक पैमाने में प्रचार प्रसार नहीं किया गया है। जन सुनवाई के माध्यम से आने वाली समस्या के बारे में सही सही जानकारी नहीं है यह क्षेत्र पेसा एक्ट अनुसूची 5 के अंतर्गत आता है। कंपनी द्वारा ग्राम सभा से अनुमति नहीं ली गई है। ऐसा होता तो बहुत सारी महिलाएं उपस्थित होती। आदिवासी महिलाओं, युवतियों के लिए रोजगार की बात नहीं की गई है। कोयले की जरूरत ही नहीं उसे कोल वॉशरी हेतु अनुमति देने की क्या आवश्यकता है ? कोल वॉशरी में गंदे पानी को रखने के लिए जगह नहीं है। बेंदरा नाला और सजरा नाला ये दो सहायक नाला हैं जो केलो नदी में पहुंचता है। कंपनी का गंदा पानी केलो नदी को प्रदूषित करेगा। इसके पिछले रिकार्ड अपराधिक है। मैं नहीं मानती कि इन्हें लोक सुनवाई हेतु अनुमति मिलनी चाहिए। आसपास का क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है। छोटे-छोटे बच्चे के भोजन पर व्यापक असर पड़ेगा। इस कोल वॉशरी को किसी भी किस्म की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। इस तरह से कंपनियां बढ़ाई जाती रहेगी तो जल, जंगल, जमीन प्रभावित होगी। बच्चे कुपोषण का शिकार

Julia
ADM

होगे। प्रदूषण खाने पीने में जा रहा है। प्रायमरी मिडिल स्कूल का मिड-डे भोजन प्रभावित हो रहा है। यह क्षेत्र हाथी क्षेत्र है। जंगलों के जीवों पर व्यापक पैमाने पर असर होगा। धर्मजयगढ़ के पास दो हाथियों जिसमें एक गर्भवती हाथिनी है कि मौत हो गई है। अतः कोल पौशरी नहीं खोलना चाहिए। इस कोल पौशरी का विरोध कर रही हूँ।

199. मोहरमति, खम्हरिया - समर्थन।
200. सनकुंवर, खम्हरिया - समर्थन।
201. सनकुंवर, खम्हरिया - समर्थन।
202. कुसीबाई, खम्हरिया - समर्थन।
203. अहिल्याबाई, खम्हरिया - समर्थन।
204. अहिल्याबाई, खम्हरिया - समर्थन।
205. बसंती, खम्हरिया - समर्थन।
206. शांती, खम्हरिया - समर्थन।
207. सुखमती, खम्हरिया - समर्थन।
208. अंजोरमती, खम्हरिया - समर्थन।
209. पिंगला बाई, खम्हरिया - समर्थन।
210. बसंती, खम्हरिया - समर्थन।
211. सावित्री, खम्हरिया - समर्थन।
212. सकिना, खम्हरिया - समर्थन।
213. तिरिथ बाई, खम्हरिया - समर्थन।
214. बुधिया, खम्हरिया - समर्थन।
215. दम्यन्ती, खम्हरिया - समर्थन।
216. द्रोपदी, खम्हरिया - समर्थन।
217. मुन्नी पटेल, खम्हरिया - समर्थन।
218. वीणा बाई चौहान, खम्हरिया - समर्थन।
219. वेदमती, खम्हरिया - समर्थन।
220. कमला, खम्हरिया - समर्थन।
221. भानुमति, खम्हरिया - समर्थन।
222. चंदकुंवर, खम्हरिया - समर्थन।
223. राजामति, खम्हरिया - समर्थन।
224. अंजनी राठिया, खम्हरिया - समर्थन।
225. समति, खम्हरिया - समर्थन।
226. कांती, खम्हरिया - समर्थन।
227. सफेद गुप्ता, खम्हरिया - समर्थन।
228. समति बाई, खम्हरिया - समर्थन।
229. चंपा बेहरा, खम्हरिया - समर्थन।
230. राम सिदार, खम्हरिया - समर्थन।
231. पासो बाई, खम्हरिया - पानी की सुविधा नहीं। बिजली की सुविधा नहीं है।
232. मनोहर राठिया, बांझीखोल - समर्थन।
233. तीजराम सिदार, बांझीखोल - समर्थन।
234. घुरऊ राम, बांझीखोल - समर्थन।
235. श्याम लाल, बांझीखोल - समर्थन।
236. महेश भगत, बांझीखोल - समर्थन।
237. अनंत राम सिदार, बांझीखोल - समर्थन।
238. चेतन राठिया, बांझीखोल - नौकरी चाहिए। पानी चाहिए। रोड चाहिए। नल चाहिए।
239. कुंवरसाय नेताम, बांझीखोल - समर्थन।
240. भागवत सिदार, बांझीखोल - समर्थन।

Yash
ADTM

241. लालजी पैंकरा, बांझीखोल - समर्थन।
 242. रवि सिंग, बांझीखोल - समर्थन।
 243. कुंजविजारी, खम्हरिया - समर्थन।
 244. बोधराग, खम्हरिया - तालाब में पानी कम है। बोर चाहिए। महिलाएँ पानी के लिए तरस रहे हैं। पानी की समस्या है। समर्थन।
 245. हितेश बेहरा, खम्हरिया - समर्थन।
 246. संतराम चौहान, खम्हरिया - समर्थन।
 247. पवन कुमार, खम्हरिया - समर्थन।
 248. धनसिंग, खम्हरिया - समर्थन।
 249. सोनसाय चौहान, खम्हरिया - समर्थन।
 250. सनबोध, खम्हरिया - समर्थन।
 251. चंदन सिंग राठिया, खम्हरिया - समर्थन।
 252. प्रेमसिंग चौहान, खम्हरिया - समर्थन।
 253. जेन चौहान, खम्हरिया - समर्थन।
 254. कुंदन साय चौहान, खम्हरिया - समर्थन।
 255. नान्हू राम, खम्हरिया - समर्थन।
 256. गोविंद राम, खम्हरिया - समर्थन।
 257. समारू राम, खम्हरिया - समर्थन।
 258. जयराम यादव, खम्हरिया - समर्थन।
 259. सनत राम, खम्हरिया - समर्थन। मंदिर के सामने पानी का टंकी चाहिए।
 260. रामकुमार, लमदरहा - समर्थन।
 261. गोपाल राठिया, लमदरहा - समर्थन।
 262. दिलीप केरकेट्टा, लैलूंगा - मैं इस जन सुनवाई का विरोध करता हूँ। जल, जंगल, जमीन को आबंटित करते रहेंगे। 10 साल में जल, जंगल, जमीन खत्म हो जायेगा। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ।
 263. चिरी, लालपुर - डोली खेत ल ससुर बेटा ले लेंथे।
 264. कलावती, लालपुर - पीने की पानी की समस्या है। टंकी बनाये। कुआ नहीं, बोर नहीं है।
 265. तिजमती बाई, लालपुर - विधवा हेतु कंपनी कुछ करें। समर्थन।
 266. चंपावती, लालपुर - समर्थन।
 267. घुरई बाई, लालपुर - समर्थन।
 268. धरमकुंवर राठिया, प्रेमनगर - बिजली का खंभा चाहिए। बोर चाहिए। निक्को कंपनी दे।
 269. कुमारी, प्रेमनगर - समर्थन।
 270. संतोषी, प्रेमनगर - समर्थन।
 271. रमेश अग्रवाल, जनचेतना मंच, रायगढ़ - जन सुनवाई बिल्कुल नियमों के विपरीत जाकर हो रही है। इसमें कई अनियमितताएँ पर्यावरण विभाग द्वारा की गई है वह मैं ध्यान में लाना चाहता हूँ। ईआईए रिपोर्ट के साथ और इनकी वेबसाइट पर फार्म-1 उपलब्ध होना चाहिए। 8 मई को मैंने आवेदन किया। यदि कंपनी फार्म-1 नहीं देती है तो आपको तत्काल लोक सुनवाई निरस्त कर देनी चाहिए। इसे मात्र औपचारिकता में लिया जाता है। वेबसाइट में हिंदी एवं अंग्रेजी की समरी लोड नहीं की गई है। न ही बताई गई कि कहां कहां ईआईए रखी गई है? 30 मई को लेटर में बताया गया कि ईआईए वेबसाइट पर है। ईआईए में बहुत खामिया है। परियोजना प्रस्तावक या ईआईए बनाने वाले को यहां बुला लें तो हम उनसे पूछ लें। ईआईए रिपोर्ट जो पर्यावरण मंत्रालय द्वारा निर्धारित टी.ओ.आर. के अनुरूप बनना चाहिए। तभी जन सुनवाई कराई जानी चाहिए। तथा तिथि निर्धारित की जानी चाहिए। इस क्षेत्रमें कोल माईंस, पावर प्लांट, कोल बॉशरी पहले से संचालित है और प्रस्तावित है। ईआईए रिपोर्ट में केवल 8 कोल माईंस को बताया गया है। स्वयं की गारे कोल माईंस के बारे में नहीं बताया गया है। यहां का वातावरण पानी की कमी, प्रदूषण की समस्या, खत्म होते जंगल, इस क्षेत्र

Shobh
 ADP

का पूरा अध्ययन होना चाहिए। कम्पलीट स्टडी होनी चाहिए। तभी पता चलेगा कि और कंपनी यहां खुलना चाहिए। इस क्षेत्र की सभी कंपनी गंदा पानी केलो नदी में छोड़ते हैं। जायसवाल निक्को को पर्यावरण विभाग ने 3 बार नोटिस दिया है। केलो नदी का जल प्रदूषित है। कोल वॉशरी के लिए ईआईए बनाई गई है वह कट एंड पेस्ट है। लोकेशन मैप भी दूसरी ईआईए में कॉपी किया गया है। ये बोलते हैं मात्र 10 हेक्टेयर में कोल माईस लगायेंगे। कोयले का एनालिसिस गारे कोल माईस से किया गया लेकिन गारे में 8 कोल माईस है किससे किया गया नाम नहीं दिया गया है। पहले भी कोयले का जो एनालिसिस रिपोर्ट था वही रिपोर्ट इस ईआईए में दिया गया है। यहां का अधिकतम ताप 42 डिग्री दिया गया है। जबकि रायगढ़ का तापमान 47-48 डिग्री पहुंच जाता है। यह जांच का विषय है। पेज 74 में इमेशन इन्वेन्ट्री में लाईम स्टोन का इन्वेन्ट्री का कट पेस्ट कोल वॉशरी में कर दिया गया है। दोनों कोल माईस की कितनी उत्पादन क्षमता है यह समझ में नहीं आता है। उनसे 1.8 मिलियन टन की कोल वॉशरी चलायेंगे। यहां से लैलुंगा 30 कि.मी. है। 10 कि.मी. में लैलुंगा तथा आसपास के गांव को बताया गया है। कुरकुट नदी और राबोडेम भी 10 कि.मी. में बताया गया है। जन सुनवाई का मजाक उड़ाया जा रहा है। हर जगह गलती है। 2006 में जो स्टडी की गई थी उस समय जो प्रदूषण की मात्रा पाई गई है और जो स्टडी की गई वो बहुत कम पाई गई है जो की संभव नहीं है। ईआईए में गलत बताया गया है। 10.66 हे0 जमीन में इस कोल वॉशरी को लगाने की बात कही गई है यह जमीन कोल माईस के अंतर्गत है फिर कैसे लेंगे। शेड्यूल एरिया में होने के कारण क्या इस जमीन का डायवर्सन हो चुका है? अभी तक जो कोयला निकलता है वह रायगढ़ के किसी कोल वॉशरी से वॉश होने के बाद जाता है। वह प्लांट कहाँ स्थित है उसे कन्सेंट मिला है या नहीं यह जांच का विषय है।

272. मंगलबती, उरबा - समर्थन।
273. जैमती, उरबा - समर्थन।
274. सहबरहीन, उरबा - समर्थन।
275. गुरवारी, उरबा - समर्थन।
276. सुखमती, उरबा - समर्थन। घर द्वार नहीं है।
277. बरातो बाई, उरबा - समर्थन।
278. हीरमति, सिदारपारा - विरोध।
279. फूलमति, सिदारपारा - विरोध।
280. बहरतीन, सिदारपारा - विरोध।
281. सत्यभामा, सिदारपारा - विरोध।
282. फूलमति, मीलूपारा - विरोध।
283. उमा, सिदारपारा - विरोध।
284. बसंत कुंवर, सिदारपारा - विरोध।
285. चंपा, सिदारपारा - विरोध।
286. लक्ष्मीन, सिदारपारा - विरोध।
287. इतवारी, मीलूपारा - विरोध।
288. रैमती, सिदारपारा - विरोध।
289. कलावती, सिदारपारा - विरोध।
290. पार्वती, सिदारपारा - विरोध।
291. इतवारी, सिदारपारा - विरोध।
292. मंगलाई, सिदारपारा - विरोध।
293. रमीलो, सिदारपारा - विरोध।
294. रैमती, सिदारपारा - विरोध।
295. ललिता, सिदारपारा - विरोध।
296. समारी, सिदारपारा - विरोध।
297. ललिता, मीलूपारा - विरोध।

Subh
ADM

298. जलकुंवर, सिदारपारा - विरोध।
 299. डमरूधर, लालपुर - समर्थन।
 300. शिवलाल भगत, बांझीखोल - समर्थन।
 301. रामधन, लालपुर - गाँव में घोर कानूनी करें। पानी की सुविधा करें। समर्थन।
 302. अशोक गुप्ता, लालपुर - समर्थन।
 303. तुलसीराम सारथी, धीरामाठा - विरोध।
 304. मनमोहन राठिया, सरपंच, उरबा - बोलने का टाईम निश्चित किया जाये। समर्थन।
 305. मालिकराम सिदार, लालपुर - समर्थन।
 306. श्रवण गुप्ता, लालपुर - समर्थन।
 307. मुरलीधर गुप्ता, लालपुर - समर्थन।
 308. आत्मा पटेल, कोड़केल - समर्थन।
 309. श्याम कुमार राठिया, उरबा - समर्थन।
 310. उत्तम गुप्ता, लालपुर - समर्थन।
 311. मनीराम सिदार, लालपुर - समर्थन।
 312. देवेंद्र सिदार, बांझीखोल - समर्थन।
 313. संतोष सिदार, बांझीखोल - समर्थन।
 314. अर्जुन सिंह, बांझीखोल - समर्थन।
 315. नंदकुमार सिदार, बांझीखोल - समर्थन।
 316. समानाथ, बांझीखोल - समर्थन।
 317. लोकचंद सिदार, बांझीखोल - समर्थन।
 318. चितंबर सिंह मरावी, मीलूपारा - समर्थन।
 319. चितेश्वर पटेल, कोड़केल - समर्थन।
 320. भयाराम, मीलूपारा - समर्थन।
 321. बहन सिंह, कोड़केल - समर्थन।
 322. करम सिंह, मीलूपारा - 2006 में मेरी मृत्यु हो गई कंपनी द्वारा बताया गया था। हम बहुत दुखी पा रहे हैं।
 323. चंदर सिंह राठिया, उरबा - आशीर्वाद देता हूँ।
 324. भजन सिंह, मीलूपारा - विरोध।
 325. फकीर मोहन साव, मीलूपारा - समर्थन।
 326. रामकुमार साहू, बासनपाली - समर्थन।
 327. जितेन्द्र सिदार, बासनपाली - समर्थन।
 328. जगदीश प्रसाद, बासनपाली - समर्थन।
 329. उद्धव चक्रवर्ती, बासनपाली - समर्थन।
 330. बालकृष्ण, बासनपाली - समर्थन।
 331. जलाराम चौधरी, सिदारपारा - विरोध।
 332. लक्ष्मीनारायण, सिदारपारा - विरोध।
 333. साधूराम, सिदारपारा - विरोध।
 334. तुलाराम सिदार, सिदारपारा - विरोध।
 335. कृपाराम, सिदारपारा - विरोध।
 336. सालिकराम, सिदारपारा - विरोध।
 337. उद्धव प्रसार सारथी, सिदारपारा - आज जनता को चूतिया बनाया जा रहा है। जबरदस्ती समर्थन कराया जा रहा है।
 338. रामलाल, मीलूपारा - विरोध।
 339. भीम, मीलूपारा - विरोध।
 340. हीराराम, सिदारपारा - विरोध।
 341. गंगाराम, सिदारपारा - विरोध।

Subh
 ADM

342. फूलमती, सिदारपारा — विरोध।
343. नानदाई, सिदारपारा — विरोध।
344. शनिरो, सिदारपारा — विरोध।
345. खीरमति, सिदारपारा — विरोध।
346. पदमा, सिदारपारा — विरोध।
347. सावित्री, सिदारपारा — विरोध।
348. पुष्पा, सिदारपारा — विरोध।
349. फुलमति, सिदारपारा — विरोध।
350. उर्मिला, सिदारपारा — विरोध।
351. शीशमति, सिदारपारा — विरोध।
352. बरतमती, सिदारपारा — विरोध।
353. इतवारीन, सिदारपारा — विरोध।
354. कुशमारी, सिदारपारा — विरोध।
355. बुधियारीन, सिदारपारा — विरोध।
356. सत्कुंवर, सिदारपारा — विरोध।
357. ताराबाई, सिदारपारा — विरोध।
358. घसियानो, सिदारपारा — विरोध।
359. कमला, सिदारपारा — विरोध।
360. हिमरा, सिदारपारा — विरोध।
361. पद्मा, सिदारपारा — विरोध।
362. गुरबारी, सिदारपारा — विरोध।
363. राहतो बाई, सिदारपारा — विरोध।
364. लक्ष्मीन, सिदारपारा — विरोध।
365. भानुमति, सिदारपारा — विरोध।
366. मंगली बाई, पेलमा — पानी की तकलीफ है।
367. जेमती, पेलमा — समर्थन।
368. गौरी बाई, पेलमा — समर्थन।
369. अग्निमती, पेलमा — समर्थन।
370. तारामती, पेलमा — समर्थन।
371. राजकुमार, उरबा — समर्थन।
372. रंगमती, उरबा — समर्थन।
373. राजकुमारी, उरबा — समर्थन।
374. फूलबती, सेमीजोर — विरोध।
375. सारामती, सिदारपारा — विरोध।
376. दिलमती, सिदारपारा — विरोध।
377. गुनमती, सिदारपारा — मेरा पैसा कंपनी नहीं दे रहा है। तीन एकड़ जमीन ले लिया है। विरोध।
378. नारद राठिया, हिंजर — विरोध।
379. तिलकराम, सिदारपारा — समर्थन।
380. शंभूराम, सिदारपारा — विरोध।
381. हंसराम, सिदारपारा — विरोध।
382. चैतराम, मुड़वाडुमर — समर्थन।
383. भूवदेव, लालपुर — समर्थन।
384. भोजराम, सिदारपारा — विरोध।
385. दिवमंगल, सिदारपारा — विरोध।
386. लक्ष्मीप्रसाद, पेलमा — स्वागत।


ADM

387. श्याम जायसवाल, खम्हरिया - पर्यावरण के बारे में कंपनी ध्यान दें। विकास गति को बढ़ाने एवं जन सुविधा और काम के आगे बढ़ाने के लिए कंपनी ध्यान दें। कंपनी का गंदा पानी को फिल्टर कर इस क्षेत्र का विकास करना चाहिए। माईस को खुलना चाहिए। लोगों को रोजगार मिलेगा। तहे दिल से समर्थन।
388. जगनारायण, मीलूपारा - समर्थन।
389. सुभाष यादव, सिदारपारा - विरोध।
390. टीकम, सिदारपारा - विरोध।
391. महेत्तर, सिदारपारा - विरोध।
392. पंचराम, सिदारपारा - विरोध।
393. दुखीराम, मीलूपारा - विरोध।
394. सेतराम, सिदारपारा - विरोध।
395. नीलकंठ सिदार, सिदारपारा- विरोध।
396. रामलाल, सिदारपारा- विरोध।
397. बाबूलाल, सिदारपारा- विरोध।
398. बूंदराम, सिदारपारा- विरोध।
399. श्रवण चौहान, पत्रकार, तमनार - क्या जन सुनवाई स्थल का निरीक्षण किया गया है? ईआईए रिपोर्ट इंग्लिश में होती है। यहां जितने लोग आये हैं वे इंग्लिश नहीं समझते। ईआईए रिपोर्ट हिंदी एवं अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषा में होनी चाहिए। पर्यावरण के संबंध में गांव वालों को कोई जानकारी नहीं है। पर्यावरण विभाग को जनजागरूकता लानी चाहिए। सीएसआर मद की राशि कंपनी खर्च करती है। क्या हम सूचना के अधिकार के तहत जानकारी ले सकते हैं? 425 गांवों में 1600 हैंडपंप बंद हैं। 40000 आदिवासी परिवार हैं। उनके पुनर्वास नीति के लिए क्या प्लान बनाया गया है? मैं यहां समर्थन या विरोध करने नहीं आया हूँ। मैं अपनी बात रखने आया हूँ। गंदा पानी जो कोल वॉशरी से निकलेगा उस पानी को कंपनी किसमें छोड़ेगी कंपनी का इस हेतु क्या प्लान है? अनुसूची 5 में यह क्षेत्र आता है। किसी भी आदिवासी की जमीन को 10 वर्ष तक डायवर्सन नहीं किया जा सकता है। 10 कि.मी. के रेडियस में कोई कोल माईस, पावर प्लांट नहीं बताया गया है। ईआईए रिपोर्ट को सही बनाया जाये। अगला जनसुनवाई जो भी है उसका हिंदी में ईआईए रिपोर्ट बननी चाहिए। लोगों को यहां उचित मुआवजा नहीं मिलता है। जमीन के बदले उसे अलग जगह जमीन दिया जाये। जनसुनवाई हेतु न मेरा समर्थन है न विरोध है।
400. यम, सिदारपारा - विरोध।
401. मोहित कुमार, सिदारपारा - विरोध।
402. बडीराम, झिरवानी, - समर्थन।
403. जगत सिंह, सिदारपारा - विरोध।
404. तुलाराम, सिदारपारा- समर्थन।
405. अर्जुन, झिरवानी - समर्थन।
406. दुर्जन, झिरवानी - बच्चों को पढ़ने जाने के लिए सुविधा नहीं है। समर्थन।
407. जयलाल, झिरवानी - समर्थन।
408. काशीनाथ, पेलमा- समर्थन।
409. मंगलूराम, पेलमा - समर्थन।
410. तुकाराम, झिरवानी - समर्थन।
411. रातूराम, झिरवानी - समर्थन।
412. राजेन्द्र गुप्ता, बासनपाली - समर्थन।
413. नंदकुमार चौहान, कोडकेल - समर्थन।
414. सारथी राम, झिरवानी - समर्थन।
415. निकेतन राम, झिरवानी - समर्थन।
416. यश पटेल, बासनपाली - समर्थन।

Subodh
ADM

417. संजय थवाईत, बासनपाली - समर्थन।
418. दुरेचन राठिया, छिरवानी - समर्थन।
419. शिवकुमार, खम्हरिया - समर्थन।
420. चैनसिंग, पेलगा - समर्थन।
421. उनवासी, जरीडीह - पानी की सुविधा हो जाये। समर्थन।
422. पद्मिनी गुप्ता, जरीडीह - पानी की समस्या है। समर्थन।
423. कुम्हारी, जरीडीह - समर्थन।
424. गौरी बाई, जरीडीह - समर्थन।
425. शनिरो, जरीडीह - समर्थन।
426. समारी बाई, जरीडीह - समर्थन।
427. धनमती, जरीडीह - समर्थन।
428. फुलो बाई, जरीडीह - समर्थन।
429. इतवारी बाई, जरीडीह - समर्थन।
430. नामदेव बाई, जरीडीह - समर्थन।
431. मंगई बाई, जरीडीह - समर्थन।
432. घसियानो बाई, जरीडीह - समर्थन।
433. सुलोचना, जरीडीह - समर्थन।
434. समारी बाई, जरीडीह - समर्थन।
435. बिमलाबाई, मीलूपारा - विरोध।
436. नवादाई, सिदारपारा - विरोध।
437. बुधवारो, सिदारपारा - विरोध।
438. रामवती, सिदारपारा - विरोध।
439. रामवती, सिदारपारा - विरोध।
440. समरीन, बासनपाली - विरोध।
441. पतीला बाई, सिदारपारा - विरोध।
442. महंतरीन, सिदारपारा - विरोध।
443. शनिरो, सिदारपारा - विरोध।
444. दिलमती, खम्हरिया - समर्थन।
445. दुरबती चौहान, खम्हरिया - समर्थन।
446. जानकी, खम्हरिया - समर्थन।
447. मानुबाई, खम्हरिया - समर्थन।
448. राजमति, खम्हरिया - नमस्कार।
449. करंजमती, खम्हरिया - समर्थन।
450. सगुना बाई, खम्हरिया - पचरी और रोड बनाया जाये।
451. चमेली बाई, खम्हरिया - समर्थन।
452. बालमती, खम्हरिया - समर्थन।
453. प्रेमशीला, खम्हरिया - नल एवं पानी की सुविधा प्रदान करें। समर्थन।
454. तीजो बाई, खम्हरिया - समर्थन।
455. जरमती, खम्हरिया - समर्थन।
456. धनेश्वर, छिरवानी - समर्थन।
457. श्यामलाल, मीलूपारा - विरोध।
458. दिलीप, सिदारपारा - विरोध।
459. शीतल प्रसाद, मीलूपारा - विरोध।
460. रामसाय, सेमीजोर - विरोध।
461. रामनाथ, मीलूपारा - विरोध।
462. सबत सिंह, सिदारपारा - विरोध।

Subh
ADM

463. सोनसाय, सिदारपारा - विरोध।
 464. धनीराम, सिदारपारा- विरोध।
 465. तिरवन, मीलूपारा- विरोध।
 466. पेनकू राम, खर्वा - पानी रोड खाने की समस्या है। किराना है, हमें जमीन चाहिए।
 467. रघुनाथ सिंह, पाकरगांव - विरोध।
 468. सोनसाय, सिदारपारा - विरोध।
 469. कार्तिकराम, खर्वा - विरोध।
 470. रामलाल, मीलूपारा - विरोध।
 471. बोधराम, मीलूपारा - धन्यवाद।
 472. गनेशराम, सिदारपारा- विरोध।
 473. तिहारू, सिदारपारा - विरोध।
 474. सुधुराम, सिदारपारा- विरोध।
 475. मालिकराम, मीलूपारा - विरोध।
 476. सुखलाल, मीलूपारा-विरोध।
 477. तुलसीराम, मीलूपारा-विरोध।
 478. तेजराम डनसेना, सिदारपारा-विरोध।
 479. सोनलाल, सिदारपारा-विरोध।
 480. जयराज, सिदारपारा-विरोध।
 481. बालक हुसैन, सिदारपारा-समर्थन।
 482. टेकराम, मड़ियाकछार- समर्थन।
 483. भूकदेव, सिदारपारा- विरोध।
 484. लीलाचंद, सिदारपारा- विरोध।
 485. प्यारेलाल, सिदारपारा-विरोध।
 486. भुजबल, सिदारपारा- विरोध।
 487. दिनेश्वर सिदार, सिदारपारा-विरोध।
 488. मोहनलाल, मीलूपारा-विरोध।
 489. शिवप्रसाद, बांझीखोल- समर्थन।
 490. चमारसाय, बांझीखोल - समर्थन।
 491. बोलोराम, गमेकेला - विरोध।
 492. राजाराम, सिदारपारा - विरोध।
 493. कार्तिम राम, सिदारपारा- विरोध।
 494. परमेश्वर, सिदारपारा- विरोध।
 495. अनंदराम, सिदारपारा- विरोध।
 496. विजय चौहान, खम्हरिया- समर्थन।
 497. सेतराम, खम्हरिया - समर्थन।
 498. चंदन सिंह, सिदारपारा- विरोध।
 499. प्रेमलाल, सिदारपारा- विरोध।
 500. गौतम, मड़वाडुमर - समर्थन।
 501. हरिशंकर, खम्हरिया - समर्थन।
 502. प्रेमलाल, खम्हरिया- समर्थन।
 503. ललित कुमार, खम्हरिया - समर्थन।
 504. अमृत, खम्हरिया - समर्थन।
 505. कुसबेहरा, छिरवानी - समर्थन।
 506. पुरुषोत्तम, छिरवानी - समर्थन।
 507. ईश्वर सिंह राठिया, लिंझर - समर्थन। नौकरी दिया जाये।
 508. प्रहलाद राठिया, लिंझर - समर्थन।

Yash
 HJM

509. ध्रुव कुमार, खम्हरिया - समर्थन।
510. गंगाराम, लिंझर - समर्थन।
511. समारु राम, खम्हरिया - समर्थन।
512. महेत्तर, खम्हरिया - समर्थन।
513. रामशंकर, खम्हरिया - समर्थन।
514. लखीराम, खम्हरिया - समर्थन।
515. चैतराम, हिंझर - समर्थन।
516. बासुदेव, खम्हरिया - समर्थन।
517. कार्तिकराम, खम्हरिया - समर्थन।
518. हेमसागर, हिंझर - समर्थन।
519. गौतम, हिंझर - समर्थन।
520. महेत्तर, सिदारपारा - विरोध।
521. धनीराम, सिदारपारा - विरोध।
522. गयाराम, खर्ग - समर्थन।
523. महेत्तर राठिया, हिंझर - पानी की समस्या है।
524. नंदराम, उरबा - समर्थन।
525. मानसिंग, हिंझर - समर्थन।
526. रामकुमार, हिंझर - समर्थन।
527. राजूराम, हिंझर - समर्थन।
528. महेश राम, हिंझर - समर्थन।
529. बोधीराम, हिंझर - समर्थन।
530. कांती, खम्हरिया - समर्थन।
531. शारदा, खम्हरिया - समर्थन।
532. लक्ष्मीन, खम्हरिया - समर्थन।
533. सुशीला, खम्हरिया - समर्थन।
534. सुमति, खम्हरिया - समर्थन।
535. पुष्पा, खम्हरिया - समर्थन।
536. कुमारी, मीलूपारा - विरोध।
537. पार्वती, मीलूपारा - समर्थन।
538. गंगाधर राठिया, हिंझर - समर्थन।
539. महेत्तर, जरीडीह - समर्थन।
540. भोग सिंग सिदार, जरीडीह - समर्थन।
541. इतवार सिंग, जरीडीह - समर्थन।
542. उत्तम प्रसाद, हिंझर - समर्थन।
543. नंदलाल, हिंझर - समर्थन।
544. हेतराम, हिंझर - समर्थन।
545. बालमुकुंद, जरीडीह - समर्थन।
546. मयाराम, जरीडीह - नमस्कार।
547. रामसिंग, उरबा - पीने का पानी की समस्या है। नल लगवाया जाये। समर्थन।
548. राकेश गुप्ता, जरीडीह - समर्थन।
549. रमेश कुमार, जरीडीह - समर्थन।
550. उमाकांत, जरीडीह - समर्थन।
551. दुश्यंत कुमार, करवाही - समर्थन।
552. राकेश्वर चौहान, करवाही - समर्थन।
553. रामकुमार नाथ, करवाही - समर्थन।
554. सारथी, करवाही - समर्थन।

Subh
ADM

555. बसंतसाय, करवाही - समर्थन।
 556. बरतराम, जरीडीह - पानी की सुविधा कंपनी करें।
 557. दशरथ भगत, करवाही - समर्थन।
 558. नत्थूराम, जरीडीह - समर्थन।
 559. रविन्द्र, करवाही - समर्थन।
 560. झनकराम, जरीडीह - समर्थन।
 561. गोविंदराम, लालपुर - तीन साल से कंपनी में ड्यूटी कर रहा था। मेरे से पहले वाला का रेग्युलर हो गया है। मेरा नहीं हुआ है। पीने की पानी की सुविधा नहीं है। सुविधा करें। विरोध।
 562. रामप्रसाद, लालपुर - दो साल से काम कर रहा हूँ। आज तक रेग्युलर नहीं है। पानी की समस्या है। इसे पूरा किया जाये। समर्थन।
 563. दुबेचंद बेहरा, करवाही - समर्थन।
 564. राजू चौहान, करवाही - समर्थन।
 565. काशीराम, करवाही - समर्थन।
 566. लक्ष्मी, करवाही - समर्थन।
 567. रामधन, करवाही - समर्थन।
 568. बैंगाराम, करवाही - समर्थन।
 569. जैतराम, करवाही - समर्थन।
 570. जगताराम, करवाही - समर्थन।
 571. कैलाश, करवाही - नमस्ते।
 572. रनक राम, करवाही - समर्थन।
 573. जयनिधि राठिया, करवाही - समर्थन।
 574. मोहन, करवाही - समर्थन।
 575. धनीराम, करवाही - समर्थन।
 576. अनंदराम, उरवा - समर्थन।
 577. जयलाल, करवाही - समर्थन।
 578. घासीराम, करवाही - समर्थन।
 579. राजकुमार, करवाही - समर्थन।
 580. समारु राम, लालपुर - समर्थन।
 581. भरत राम, करवाही - समर्थन।
 582. रामप्रसाद, खम्हरिया - समर्थन।
 583. बिपिन बिहारी, खम्हरिया - समर्थन।
 584. रामकुमार, खम्हरिया - समर्थन।
 585. महादेव, खम्हरिया - समर्थन।
 586. रघुनाथ, खम्हरिया - समर्थन।
 587. जेठराम, जरीडीह - समर्थन।
 588. आनादराम, जरीडीह - समर्थन।
 589. मनदूराम, खम्हरिया - समर्थन।
 590. सुनऊ, जरीडीह - समर्थन।
 591. भगतराम, जरीडीह - समर्थन।
 592. सुनऊ राम, जरीडीह - समर्थन।
 593. इतवार सिंह, जरीडीह - समर्थन।
 594. रामसिंग, जरीडीह - समर्थन।
 595. गनपत, कोडकेल - समर्थन।
 596. कन्हैया श्रीवास, कोडकेल - समर्थन।
 597. लक्ष्मीराम, कोडकेल - समर्थन।

Subal
 ADM

598. लीलाधर, कोड़केल - समर्थन।
599. अमरलाल, मीलूपारा - समर्थन।
600. श्रवण कुमार, कोड़केल - समर्थन।
601. आनंद सिंदार, कोड़केल - समर्थन।
602. श्रीराम, कोड़केल - समर्थन।
603. पद्मुरान, कोड़केल - समर्थन।
604. बोधन, जरीडीह - समर्थन।
605. चैतराम, खर्सा - समर्थन।
606. ललन सिंग, कोड़केल - समर्थन।
607. रंजीत सारथी, कोड़केल - समर्थन।
608. शौकीलाल, कोड़केल - समर्थन।
609. मोहनलाल-कोड़केल - समर्थन।
610. दुरबीन, कोड़केल - विरोध
611. गंगाधर, कोड़केल - कंपनी को पुरा जमीन दिया हूँ। समर्थन।
612. नरसिंग चौहान, कोड़केल - समर्थन।
613. गनपत, कोड़केल - समर्थन।
614. श्यामलाल, कोड़केल - समर्थन।
615. मन्नूलाल, कोड़केल - समर्थन।
616. चंद्रपाल, कोड़केल - समर्थन।
617. जगदीश, लालपुर - समर्थन।
618. शनिराम, लालपुर - समर्थन।
619. शीतल चौहान, उरबा - तालाब बनेगा तो कंपनी आगे बढ़ेगा। नहीं तो नहीं बढ़ेगा।
620. रंगबाई, खर्सा - समर्थन।
621. कुसवारो, खर्सा - नमस्कार।
622. सुनई, खर्सा - स्वागत।
623. अमृत बाई, करवाही - समर्थन।
624. मथुरा, करवाही - समर्थन।
625. भगवती, करवाही - समर्थन।
626. गुलाब बाई, करवाही - समर्थन।
627. धनमती, करवाही - समर्थन।
628. जनमेत बाई, करवाही - समर्थन।
629. गौरी बाई, करवाही - समर्थन।
630. रतनकुमारी, खम्हरिया - समर्थन।
631. समारी, खम्हरिया - समर्थन।
632. रत्नमती, खम्हरिया - समर्थन।
633. शैलेन्द्री, खम्हरिया - समर्थन।
634. रजनी यादव, खम्हरिया - समर्थन।
635. चकधर, कोड़केल - नौकरी चाहिए। समर्थन।
636. सुखराम, लालपुर - समर्थन।
637. तोरण कुमार, लालपुर - तालाब का गहरीकरण और बोर खुदवाये।
638. राजकुमार राठिया, खम्हरिया - समर्थन।
639. फूलसिंग, करवाही - समर्थन।
640. नीलांबर पटेल, करवाही - समर्थन।
641. राजकुमार, करवाही - समर्थन।
642. कुमार सिंदार, करवाही - समर्थन।
643. रामलाल, खम्हरिया - समर्थन।

Handwritten signature
A D M

644. मोतीलाल, करवाही - समर्थन।
645. धनेश्वर राठिया, खम्हरिया - समर्थन।
646. ननकीराम, खम्हरिया - समर्थन।
647. अर्जुनयादव, खम्हरिया - समर्थन।
648. मनकेश्वर धोडान, करवाही - समर्थन।
649. धनीराम, खम्हरिया - समर्थन।
650. पदमन, करवाही - समर्थन।
651. फणीन्द्र गुप्ता, खर्वा - समर्थन।
652. राजकुमार, खर्वा - समर्थन।
653. दाताराम, खर्वा - निक्को की जय।
654. रामरतन, उरबा - समर्थन।
655. भानुप्रताप, उरबा - समर्थन।
656. गयाराम, उरबा - समर्थन।
657. अशोक कुमार, जरीडीह - समर्थन।
658. नीलांचल, जरीडीह - समर्थन।
659. जागेश्वर गुप्ता, खम्हरिया - समर्थन।
660. शशिभूषण, उरबा - समर्थन।
661. राजू सिदार, खर्वा - समर्थन।
662. फूलकुमार, उरबा - स्वागत।
663. परमानंद, उरबा - स्वागत।
664. रामनाथ, उरबा - स्वागत।
665. मोगीराम, लालपुर - समर्थन।
666. कौशल, खर्वा - समर्थन।
667. रोशन गुप्ता, खर्वा - स्वागत।
668. मोहन लाल, लालपुर - समर्थन।
669. ललित कुमार, लालपुर - समर्थन।
670. संजय गुप्ता, खर्वा - समर्थन।
671. प्रदीप, खर्वा - समर्थन।
672. प्रेमसागर, खर्वा - समर्थन।
673. हेमकुमार, उरबा - समर्थन।
674. तेजराम, उरबा - स्वागत।
675. चैतराम, बेलजोर - समर्थन।
676. सुंदरलाल, उरबा - समर्थन।
677. अमीलाल राठिया, लमदरहा - विरोध।
678. समीर सिदार, कोड़केल - केलो नदी में बेंदरा नाले के माध्यम से कोयला पानी छोड़ता है। विरोध।
679. कन्हैया, कोड़केल - समर्थन।
680. जयलाल, कोड़केल - समर्थन। गांव में नलजल, स्कूल, अस्पताल, एक कम्पाउंडर, एवं शिक्षा की सुविधा हो।
681. पदुमलाल, कोड़केल - समर्थन। गांव की परेशानी को ध्यान दें। पानी की दिक्कत हो रही है उस हेतु गांव में पानी देवें। जो जमीन दिया है उसे पुनः कंपनी में रखी जाये।
682. महीपत सिदार, कोड़केल - समर्थन।
683. रामप्रसाद, कोड़केल - समर्थन।
684. संतराम पटेल, कोड़केल - समर्थन।
685. रामकुमार, भालूमुड़ा - समर्थन।
686. गंभीर, हमीरपुर - समर्थन।

Subal
HDM

687. नंदलाल रात्रे, डोलेंसरा - समर्थन।
 688. कृष्णा, कोलम - समर्थन।
 689. गंगाराम, कोलम - समर्थन।
 690. कृपा राम, पूर्ण संरक्षण, कोडकेल - हमारे यहां ज़िंदगी, मोनेट, निक्को आया। लेकिन बेरोजगारी समाप्त नहीं हो पा रहा है। इस बारे में प्रशासन विशेष ध्यान दें। समर्थन।
 691. जनकराम, कोडकेल - समर्थन।
 692. बंशीराम, उरबा - समर्थन।
 693. रंजीता कुरे, खम्हरिया - धन्यवाद।
 694. संतोषी साहू, खम्हरिया - समर्थन।
 695. सतरूपा, खम्हरिया - समर्थन।
 696. बसंती बाई, खम्हरिया - समर्थन।
 697. सुरेश कुमार, कोडकेल - समर्थन।
 698. रोहित पटेल, कोडकेल - समर्थन।
 699. संतराम, कोडकेल - समर्थन।
 700. अनंतराम, बेलजोर - समर्थन।
 701. निर्भय सिंह, खम्हरिया - समर्थन।
 702. पवन तिर्की, कोडकेल - समर्थन। बेरोजगारों को नौकरी दिया जाये। सही मुआवजा दिया जाये। कम मुआवजा दिया जाता है।
 703. मनसुदन सिदार, कोडकेल - हमारे गांव का जल स्तर नीचे चला जाता है। पानी पहुंचाने का कष्ट करें। समर्थन।
 704. भागीरथी, सक्ता - समर्थन।
 705. तीर्किराम, सक्ता - समर्थन।
 706. सुंदरलाल, डोलनारा - समर्थन।
 707. ताराचंद, डोलनारा - समर्थन।
 708. घासीराम, बजरमुड़ा - समर्थन।
 709. शशिभूषण, सक्ता - हमारे क्षेत्र में शिक्षा व स्वास्थ्य की आवश्यकता है। इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला जाये। स्वास्थ्य केंद्र में जो डॉक्टर है उसे बदला जाये। समर्थन।
 710. लोकेश्वर प्रसाद, मड़वाडुमर - समर्थन।
 711. उत्तम कुमार, मड़वाडुमर - समर्थन।
 712. देवकुमार, मड़वाडुमर - समर्थन।
 713. मनबोध, मड़वाडुमर - समर्थन।
 714. सुरेंद्र कुमार, मड़वाडुमर - समर्थन।
 715. मुन्ना लाल, मड़वाडुमर - समर्थन।
 716. सतलाल राठिया, लमदरहा - समर्थन।
 717. घसिया राम, सिदारपारा - विरोध।
 718. पनीराम, सिदारपारा - विरोध।
 719. धनीराम, सिदारपारा - विरोध।
 720. लखन अघरिया, छिरवानी - समर्थन।
 721. रतनलाल, छिरवानी - समर्थन।
 722. सकीर्तन सिदार, छिरवानी - समर्थन।
 723. फगुलाल, छिरवानी - समर्थन।
 724. ननकीराम, छिरवानी - समर्थन।
 725. साधुराम बेहरा, छिरवानी - समर्थन।
 726. गुझिया, मीलूपारा - नौकरी नहीं देता है।
 727. ललितराम, सिदारपारा - समर्थन।
 728. तुलाराम, सिदारपारा - जमीन लिया है तो रोजगार दें।

Handwritten signature and initials

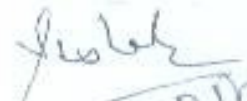
729. युवराज सिंह, सिदारपारा - विरोध।
 730. राजरती सिदार, छिरवानी - समर्थन।
 731. प्रेमलाल चौधरी, खम्हरिया - समर्थन।
 732. कंचन लाल बेहरा, खम्हरिया - समर्थन।
 733. मंगूलाल, खर्वा - समर्थन।
 734. संतोष सिदार, खर्वा - समर्थन।
 735. भूपदेव, खर्वा - समर्थन।
 736. भूपदेव प्रसाद, करवाही - समर्थन।
 737. प्रताप सिंह, करवाही - समर्थन।
 738. हीरालाल पटेल, करवाही - समर्थन।
 739. दीनदयाल, करवाही - समर्थन।
 740. रामकुमार, करवाही - समर्थन।
 741. दयाराम, करवाही - समर्थन।
 742. गनपत यादव, दर्रीपारा - समर्थन।
 743. जितेंद्र राठिया, उरबा - समर्थन।
 744. संजय कुमार, खर्वा - समर्थन।
 745. धनजय बेहरा, खम्हरिया - समर्थन।
 746. मनीष कुमार, खम्हरिया - समर्थन।
 747. दाताराम, खम्हरिया - समर्थन।
 748. सुन्दरलाल, खम्हरिया - समर्थन।
 749. तीरबती, लमदरहा, - समर्थन।
 750. देरयातो, लमदरहा - समर्थन।
 751. मुनकी, लमदरहा - समर्थन।
 752. सीता, लमदरहा -
 753. रतमती, सिदारपारा - समर्थन।
 754. देवमती, सिदारपारा - समर्थन।
 755. नंदकुमार, लमदरहा, - समर्थन।
 756. कलावती, लमदरहा, - समर्थन।
 757. अंजोरी, लमदरहा, - समर्थन।
 758. देवमति, लमदरहा - समर्थन।
 759. फुलमति, लमदरहा - समर्थन।
 760. समारु, लमदरहा - समर्थन।
 761. शांति, लमदरहा - समर्थन।
 762. सुलोचना, लमदरहा - समर्थन।
 763. दुरपति, लमदरहा - समर्थन।
 764. लक्ष्मी, लमदरहा - समर्थन।
 765. उर्मिला, लमदरहा - समर्थन।
 766. लीलावति, लमदरहा - समर्थन।
 767. बराती, लमदरहा - समर्थन।
 768. गुरबारी, लमदरहा - समर्थन।
 769. अमरमति, लमदरहा - समर्थन।
 770. धनमति, लमदरहा - समर्थन।
 771. सविता, लमदरहा - समर्थन।
 772. उत्तरा, लमदरहा - समर्थन।
 773. उर्मिला, लमदरहा - समर्थन।
 774. सावित्री, लमदरहा - समर्थन।

Handwritten signature
 H D M

775. सीता, लमदरहा - समर्थन।
 776. गीता, लमदरहा - समर्थन।
 777. पाता, लमदरहा - समर्थन।
 778. धनकुंवर, लमदरहा - समर्थन।
 779. भूरी, लमदरहा - समर्थन।
 780. प्रेमशीला, लमदरहा - समर्थन।
 781. शांति, लमदरहा - समर्थन।
 782. सावित्री, लमदरहा - समर्थन।
 783. देवमति, लमदरहा - समर्थन।
 784. गुलाबी, लमदरहा - समर्थन।
 785. प्यारे, लमदरहा - समर्थन।
 786. लखीराम, लमदरहा - समर्थन।
 787. रामप्रसाद, लमदरहा - समर्थन।
 788. गंगाराम, लमदरहा - समर्थन।
 789. सुबराज, लमदरहा - समर्थन।
 790. अर्जुन, लमदरहा - समर्थन।
 791. विक्रम, लमदरहा - समर्थन।
 792. लहरी, लमदरहा - समर्थन।
 793. चित्रसेन, लमदरहा - समर्थन।
 794. राजेश, लमदरहा - समर्थन।
 795. लखीराम, लमदरहा - समर्थन।
 796. दर्शन सिंह, लमदरहा - समर्थन।
 797. गनपत राठिया, लमदरहा - समर्थन।
 798. डोलोकुमार, सिदारपारा - समर्थन।
 799. गनियार, सिदारपारा - समर्थन।
 800. टिकेश्वर सिदार, सक्ता - समर्थन।
 801. परदेशी सिदार, सिदारपारा - समर्थन।
 802. युवराज, सिदारपारा - समर्थन।
 803. हरिशंकर, मीलूपारा - समर्थन।
 804. भानु श्रीवास, पैलमा - समर्थन। हुकराडिपा से मीलूपारा के सड़क का मरम्मत करें।
 805. गोपाल पटेल, लालपुर उप सरपंच - समर्थन।
 806. रामकुमार यादव, दरौपारा, उरबा - समर्थन।
 807. राधेश्याम राठिया, उरबा - समर्थन।
 808. गुरुराम सिदार, मीलूपारा - समर्थन।

लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण क्षेत्रीय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी द्वारा पढ़कर सुनाया गया।

लोक सुनवाई के दौरान जनता द्वारा उठाये गये मुद्दों के संबंध में उद्योग प्रतिनिधि श्री दिनेश श्रीवास्तव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष द्वारा बताया गया कि लोगो की मांग के अनुरूप स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, अधोसंरचना, जल की व्यवस्था इत्यादि के संबंध में उद्योग कार्य करेगा। मीलूपारा में कम्पनी द्वारा तीन बिस्तरों वाला अस्पताल का निर्माण कराया गया है। जिसमें एम. बी. बी. एस. डॉक्टर उपलब्ध है तथा दवाईयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। इसका उपयोग क्षेत्रवासियों द्वारा किया जा रहा है। इसे भविष्य में और सुदृढ़ किया जायेगा। आस-पास के ग्रामों के स्कूल जाने वाले बच्चों के लिये स्कूल बस की व्यवस्था की गई है। इस कोल वाशरी प्रोजेक्ट के निर्माण के समय तथा इसके बाद क्षेत्रीय लोगों को रोजगार दिया जायेगा। वन विभाग के मार्गदर्शन में 50 हजार से ज्यादा वृक्ष हमारे द्वारा कोयला खदान में लगाया गया है तथा इस वर्ष 30,000 वृक्ष लगाये जाने का प्रावधान है।


 A D M

33% भाग पर वृक्षारोपण किया जाना है। वाशरी में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु क्लोज बेल्ड कन्वेयर तथा ड्राय फाग सिस्टम का उपयोग किया जायेगा। जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु ट्रीटमेंट संयंत्र का निर्माण किया जायेगा। जल का शत प्रतिशत पुनर्उपयोग किया जायेगा। वन्य जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु विभाग के निर्देशों का पालन किया जायेगा। पीने के पानी की व्यवस्था, सड़क निर्माण एवं मरम्मत तथा अन्य कई कार्य किया जा रहा है तथा अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र में सी. एस. आर. मद के तहत कार्य किया जायेगा। उद्योग के पर्यावरण सलाहकार श्री रत्नेश कोटियाल द्वारा बताया गया कि फाइनल ई. आई.ए. रिपोर्ट में उन सभी बिन्दुओं का समावेश किया जाकर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को प्रस्तुत की जायेगी। इस प्रकार परियोजना से होने वाले होने प्रदूषण नियंत्रण हेतु किये जाने वाले उपायों तथा लगाये जाने वाले आधुनिक उपकरणों, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल आपूर्ति, सामुदायिक विकास तथा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त बिंदुओं पर बिन्दुवार अपना पक्ष रखा।

लोक सुनवाई के दौरान दो लोगों के द्वारा लिखित अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया गया। संपूर्ण लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी की गई।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा सायं 5.30 बजे उपस्थित लोगों के सुझाव, आपत्ति, टीका-टिप्पणी पर कंपनी प्रतिनिधि की ओर से जवाब आने के पश्चात् लोक सुनवाई के समाप्ति की घोषणा की गई।

(ज. लकड़ा)

क्षेत्रीय अधिकारी

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़

(एस. के. शर्मा)

अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
जिला-रायगढ़ (छ.ग.)